

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
17.11.2023

मिसल नम्बर  
50/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा  
14.06.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पोखर बलाई निवासी सरोली रोड दूनी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एगो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक
- 2-श्री सुकेश धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड़ निवासी केयर ऑफ कपिल जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन सरोली रोड दूनी जिला टोंक राज. डेयरी सचिव मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एगो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक
- 3-मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एगो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक  
.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द बलाई स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 17.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.03.2023 को समय 04:45 पीएम पर मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एगो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पोखर बलाई मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रकाश चन्द बलाई ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/एफबीओ होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री सुकेश धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड़ को उक्त फर्म का सचिव होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु बीएमएस 1000 लीटर क्षमता वाले टैंकर में लगभग 600 लीटर मिक्सड मिल्क रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रकाश चन्द बलाई को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रकाश चन्द बलाई व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर

1717

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



विक्रेता को बताकर कि यह **मिक्सड मिल्क** वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड मिल्क** 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3505 नीचे से ऊपर तक गोंद से भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/767 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /870/एक्ट/2023/906 दिनांक 25.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया **मिक्सड मिल्क** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री प्रकाश चन्द बलाई स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र Milk solids not fat के लिए किए गए जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



  
भातिरेक्त जिला मांजस्टर  
टोंक

हमने अप्राथी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिक्सड मिल्क का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.11.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 17.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(~~डॉ. राज सिंह नेगी~~)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
टोंक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0